न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन-निगरानी/सीहोर/2017/3514 - विरूद्ध आदेश दिनांक 22-9-2017- पारित द्वारा - तहसीलदार सीहोर जिला सीहोर - प्रकरण क्रमांक 484/2014-15 अ-6

सॅजय विहाणी पुत्र स्व. गोविन्द दास बिहाणी
निवासी सीहोर जिला सीहोर मध्यप्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- पवन बिहाणी 2- सुमन्त बिहाणी
पुत्रगण स्व. गोविन्द दास बिहाणी
दोनों निवासी छावनी सीहोर म0प्र0
3- श्रीमती अंजली बिहाणी पत्नि गोविन्द दास बिहाणी
पत्नि अजीत सिंह मेवाड़ा
निवासी दांगीस्टेट सीहोर म0प्र0 ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री डी0के0पासी)

आ दे श

(आज दिनांक 13 - 11 --2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार सीहोर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 484/2014-15 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 22-9-2017 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक एंव अनावेदक कमांक 3 ने तहसीलदार सीहोर के समक्ष म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि उनके स्वर्गीय पिता गोविन्द दास के

नाम कस्वा सीहोर में कुल किता 6 कुल रकबा 0.824 हैक्टर भूमि है जिनकी मृत्यु उपरांत आवेदक एंव अनावेदक कमांक 1 व 2 उत्तराधिकारी है इसलिये मृतक पिता की भूमि पर समान भाग पर नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार सीहोर ने प्रकरण कमांक 484/2014-15 अ-6 पॅजीबद्व किया तथा प्रकरण पक्षकारों की साक्ष्य हेतु नियत किया। पेशी 3-9-15 को अनावेदक कमांक 1 व 2 ने आवेदन प्रस्तुत कर बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग की, जिसे इसी प्रकरण में सम्मिलित कर कार्यवाही की गई, जिस पर अनावेदक कमांक 1 व 2 ने आपत्ति व्यक्त कर प्रथक से प्रकरण दर्ज करने की मांग रखी, जिसे तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 3-9-15 से अमान्य किया। इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल, म0प0 ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 3372-दो/2015 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-9-16 से तहसीलदार सीहोर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित हुई कि दोनों पक्षों को जवाव एंव प्रतिपरीक्षण का अवसर देने के उपरांत विधि की मंशा के अनुरूप प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निराकरण किया जाय। तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण वापिस होने पर पुनः कार्यवाही प्रारंभ हुई एंव आवेदक ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 सहपठित म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन देकर बसीयत की जांच हस्तलिपि विशेषज्ञ से कराये जाने की आपत्ति की। इस आवेदन पर तहसीलदार सीहोर ने उभय पक्ष को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 22-9-17 पारित किया तथा आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो के आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ लेखी बहस का भी अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि राजस्व मण्डल, म0प0 ग्वालियर से प्रकरण कमांक 3372-दो/2015 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-9-16 से तहसीलदार सीहोर को निर्देश देकर प्रकरण प्रत्यावर्तित हुआ है कि दोनों पक्षों को जवाव एंव प्रतिपरीक्षण का अवसर देने के उपरांत विधि की मंशा के अनुरूप प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निराकरण किया जाय। तहसीलदार सीहोर

के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं से परिलक्षित है कि तहसीलदार ने उभय पक्ष को लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किये हैं। आवेदक द्वारा पेशी 31-5-2015 को प्रतिपरीक्षण करने से मना किया है एंव अन्य साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने से भी इंकार किया है । इसके उपरांत अनावेदकगण की साक्ष्य ली जाकर प्रकरण जब अंतिम तर्क हेतु नियत करने की स्थिति उत्पन्न हुई, तब आवेदक ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 सहपठित म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन देकर बसीयत की जांच हस्तलिपि विशेषज्ञ से कराये जाने की मांग रखी है। तहसीलदार सीहोर ने अंतरिम आदेश दिनांक 22-9-17 में विवेचित किया है कि नामांत्रण प्रकरण में इस न्यायालय को बहुत ही सीमित अधिकार हैं। यदि अनावेदक ने बसीयत फर्जी या कूटरचित तैयार की है तो आवेदक सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है। बसीयत का प्रमाणीकरण साक्षियों द्वारा होता है। आवेदक प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखना चाहता है। प्रकरण वर्ष 2014-15 से चल रहा है जो कि काफी पुराना है। वर्तमान में शासन की मंशा के अनुरूप नामान्तरण प्रकरणों का त्वरित व समय-सीमा में निराकृत करना है। तहसीलदार सीहोर का यह निर्णय सही प्रतीत होता है क्योंकि किसी भी दस्तावेज को शून्य घोषित करने अथवा शून्य मानने की शक्तियॉ राजस्व न्यायालय को नहीं है। प्रकरण में आये तथ्यों से आभाषित है कि आवेदक जानबूझकर नामान्तरण प्रकरण का निराकरण करने में विलम्ब करना चाहता है जिसके कारण तहसीलदार सीहोर द्वारा प्रकरण क्रमांक 484/2014-15 अ-6 में पारित आदेश अंतरिम दिनांक 22-9-2017 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार सीहोर द्वारा प्रकरण क्रमांक 484/2014-15 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 22-9-2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर